संख्या-384/53-2-2026-कं0सं0-1671811

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास, उ0प्र0/
मिशन निदेशक,
नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0।

2- निदेशक,
प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 18-06-2026

विषय:- नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 25.08.2023, दिनांक 23.10.2024 एवं दिनांक 13.02.2025 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया दुग्ध आयुक्त/मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 के पत्रांक-63-64/एस0पी0एम0यू0/गौ-संवर्धन(28)/2026-27, दिनांक 09 जून, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-811/53 -2-2023, दिनांक 25.08.2023, शासनादेश संख्या-895/53-2-2024, दिनांक 23.10.2024 एवं शासनादेश संख्या-70/53-2-2025, दिनांक 13.02.2025 में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 25.08.2023, दिनांक 23.10.2024 एवं दिनांक 13.02.2025 में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
9	**क्रय प्रक्रिया:-** (i) चयन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त लाभार्थी को 02 माह में गाय क्रय	**क्रय प्रक्रिया:-** (i) चयन पत्र प्राप्ति के बाद लाभार्थी द्वारा 02 माह के भीतर स्वदेशी उन्नत नस्ल की गिर,

	करने की अनिवार्यता नहीं होगी। लाभार्थी द्वारा गाय का क्रय यथाशीघ्र करते हुए अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।	साहीवाल, हरियाणा अथवा थारपारकर गाय का क्रय किया जायेगा।
10	(iii) क- जिन जनपदों में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी तैनात नहीं है, उन जनपदों में योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी नोडल अधिकारी होगें।	(iii) क- जिन जनपदों में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी तैनात नहीं है, उन जनपदों में योजना के क्रियान्वयन के लिए वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश नोडल अधिकारी होंगे। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षकों के कार्यो का पर्यवेक्षणीय दायित्व सम्बन्धित मण्डल के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/जिला समन्वयक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन में निहित होगा।

3- विषयगत शासनादेशों के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 18-06-2026 15:21:18

(मुकेश कुमार मिश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-384(1)/53-2-2026 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, पशुधन, वित्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास/नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उत्तर प्रदेश।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAM SAHAY YADAV
Date: 18-06-2026
15:32:11

(राम सहाय यादव)
विशेष सचिव।